

Note
press

5.6.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपाधिकृत।
वकील वारी पत्रावली को आगे नही चलाना
चाहते एवं न्यायालय कि की गई कार्यवाही
से संतुष्ट है, वकील वारी द्वारा पत्रावली
नोट प्रेस करने का निवेदन किया। वकील
वारी द्वारा नोट-प्रेस किये जाने के
आधार पर वार खारिज किया जाता है।
पत्रावली केसल शुमार होकर दफ्तर
शरिफल होके।

मि
intilw

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा